

छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग-दो

बुधवार, दिनांक 28 फरवरी, 2024 (फाल्गुन-9,1945)

महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति का गठन

छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 234-च के उप नियम (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा दिनांक 28 फरवरी, 2024 को महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति के लिए निम्नलिखित सदस्यों को वर्ष 2023-24 की शेष अवधि तथा 2024-2025 एवं 2025-2026 की अवधि हेतु सेवा करने के लिये तथा नियमावली के नियम 180 के उप नियम (1) के अधीन समिति के सभापति को नियुक्त किया गया :-

1. श्रीमती रेणुका सिंह सरूता
2. सुश्री लता उसेण्डी
3. श्री किरण देव
4. श्री योगेश्वर राजू सिन्हा
5. श्रीमती भावना बोहरा
6. श्रीमती अनिला भेंडिया
7. श्रीमती कविता प्राण लहरे
8. श्रीमती शेषराज हरवंश
9. श्री विक्रम मण्डावी

श्रीमती रेणुका सिंह सरूता, सदस्य इस समिति की सभापति होंगी।

दिनेश शर्मा

सचिव

छत्तीसगढ़ विधान सभा